नेतरहाट आवासीय विद्यालय
नेतरहाट

प्रिय अभिभावकगण

आशा है आप सपरिवार सानन्द होंगे | नेतरहाट आवासीय विद्यालय छात्रों के सर्वांगीण विकास एवं अनुशासन के लिए जाना जाता है जिसमें आप सभी अभिभावकों का भी सहयोग अपेक्षित है। इसी क्रम में छात्रों के अनुशासन एवं सुरक्षा से संबंधित विद्यालय की कुछ स्थापित परंपरा एवं नियम की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

अवकाश संबंधी नियम:

1. किसी भी छात्र को किसी विशेष परिस्थिति को छोड़कर अधिकतम तीन दिन का ही अवकाश प्रदान किया जाएगा । किन परिस्थितियों में अवकाश दिया जाएगा इसका विवरण छात्रों को ज्ञात है ।
2. बिना अभिभावक के किसी भी परिस्थिति में छात्रों को छुट्टी नहीं दी जाएगी। अगर अभिभावक आने में सक्षम नहीं हैं तो विशेष परिस्थिति में छात्र को विद्यालय के किसी कर्मचारी के साथ विद्यालय या भाड़े की गाड़ी से भेजा जा सकता है जिसका पूरा खर्च संबंधित अभिभावक को वहन करना होगा ।
3. अपने प्रतिपाल्य को छुट्टी में ले जाने हेतु विद्यालय आने के पूर्व अभिभावक अपने बच्चे के आश्रमाध्यक्ष से सहमति लेकर ही विद्यालय आएँगे।
4. अवकाश की समाप्ति के पश्चात निर्धारित तिथि में बच्चे को विद्यालय पहुँचाना अनिवार्य होगा। विलम्ब से पहुँचाने पर परंपरानुसार 50 रूपये प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देय होता है जिसे छात्रों के वार्षिक शुल्क के साथ जोड़ा जाता है । विलम्ब से पहुँचने का कारण असंतोषजनक होने पर विलंब शुल्क के साथ-साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है । चिकित्सा संबंधी कारण होने पर सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पताल द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, चिकित्सा प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट रूप से इंगित होना चाहिए कि वह बच्चा नेतरहाट आवासीय विद्यालय की समस्त गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम है। साथ ही ऐसी स्थिति में संबंधित आश्रमाध्यक्ष को पूर्व में ही सूचित करना अनिवार्य होगा।
5. बिना किसी सूचना के अधिकतम पंद्रह दिन तक विद्यालय से अनुपस्थित रहने पर संबंधित छात्र के अभिभावक को सूचित किया जाएगा और अगले पंद्रह दिन में भी विद्यालय में उपस्थित नहीं होने पर नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।
6. विलम्ब से आने वाले छात्र अभिभावक के साथ ही विद्यालय आएंगे तथा आश्रमाध्यक्ष तथा प्राचार्य से अनुमति प्राप्त कर ही आश्रम में प्रवेश कर सकेंगे ।

अपने प्रतिपाल्य से मिलने संबंधी नियम:

1.यह देखा जाता है कि अभिभावक आश्रम-अध्यक्ष की अनुमति के बगैर ही अपने बच्चे से मिलने चले आते हैं एवं सीधे आश्रम परिसर में प्रवेश कर जाते हैं जो कि विद्यालय एवं आश्रम परंपरा तथा छात्रों के सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिकूल है।
2.अगर किसी अभिभावक को अपने प्रतिपाल्य से मिलने के लिए आना है तो वह आने से पूर्व अनिवार्य रूप से आश्रम-अध्यक्ष से दूरभाष के माध्यम से सहमति प्राप्त कर लेंगे |
3. किसी भी अभिभावक का आश्रम-अध्यक्ष की अनुमति के बिना आश्रम में प्रवेश वर्जित होगा ।
4. छात्र से मिलने विद्यालय आने की स्थिति में अभिभावक को सर्वप्रथम विद्यालय के मुख्य द्वार पर गार्ड रूम में सूचना देनी होगी । तत्पश्चात यथानिर्देशित विधि से अभिभावक अपने पाल्य से मिल सकेंगे | ध्यान रहे कि केवल वे अभिभावक ही छात्र से मिल सकेंगे, जिनका विवरण प्रवेश के समय भरे गए प्रपत्र पर उपलब्ध होगा|

उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ सभी से सहयोग की अपेक्षा रहेगी |

भ व दी य

01/05/24

प्राचार्य
नेतरहाट आवासीय विद्यालय
नेतरहाट